डिस्क्लेमर

आदेश संख्या 09/2023-24 के परिशिष्ट 6 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20010/एमआईएएल/डीएफ और एमडीएफ/2020-21

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

आदेश संख्या 09/2023-24 का परिशिष्ट 6

तृतीय तल, उड़ान भवन,
डी ब्लॉक, राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली– 110003

जारी करने की तारीख: 1 अगस्त, 2024

विषय: छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुंबई में परियोजना निर्माण कार्य के लिए विकास शुल्क (डीएफ) लगाने के मामले के संबंध में

1. ऐरा की अपील संख्या 4/2023 में उपर्युक्त विषय-वस्तु के संबंध में पारित माननीय दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय अधिकरण के दिनांक 19.12.2023 के अंतरिम आदेश के अनुपालन में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई में प्रति अंतरदेशीय यात्री 100/- रूपए और प्रति अंतरराष्ट्रीय यात्री 600/- रूपए की दर से विकास शुल्क (डीएफ) की वसूली की अवधि 29.02.2024 तक बढ़ाई गई थी।

2. इसके बाद, माननीय टीडीएसएटी के दिनांक 21.02.2024, 22.03.2024 और 30.04.2024 तथा 24.07.2024 के अंतरिम आदेश के अनुरूप छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई में प्रति अंतरदेशीय यात्री 100/- रूपए और प्रति अंतरराष्ट्रीय यात्री 600/- रूपए की दर से विकास शुल्क (डीएफ) की वसूली की अवधि क्रमश: 22.03.2024, 10.05.2024, 31.07.2024 और 01.08.2024 तक बढ़ाई गई है।

3. यह मामला दिनांक 01.08.2024 को माननीय टीडीएसएटी के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जिसमें माननीय अधिकरण ने अंतरिम आदेश 31.08.2024 तक और बढ़ा दिया है।

4 तदनुसार माननीय दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय अधिकरण के निदेश के अनुपालन में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई में प्रति अंतरदेशीय यात्री 100/- रूपए और प्रति अंतरराष्ट्रीय यात्री 600/- रूपए की दर से विकास शुल्क (डीएफ) की वसूली की अवधि 31.08.2024 तक बढ़ा दी गई है। परंतु यह शुल्क जारी रहने की अवधि 2024 के एसएलपी डायरी नम्बर 28211, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण बनाम मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किसी भी आदेश/निदेश के अध्यधीन होगी।

5 ऐरा के दिनांक 14.06.2023 के आदेश 09/2023-24 की अन्य सभी शर्तें और निबंधन यथावत रहेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवा में,

श्री प्रकाश तुलसियानी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, प्रथम तल, टर्मिनल1,
सांताक्रूज़ (पूर्व) मुम्बई - 400 099.

प्रतिलिपि:

(i) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली 110 003.
(ii) अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110 003.